न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 21/2012 (142/2010)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		सुखदेव पुत्र बिरदीचंद माली निवासी राठौड़ी कुआं नागौर मालिक मै. सांखला मिष्ठान भण्डार नागौर के कायम मुकामान – 1. राजकुमार सांखला पुत्र सुखदेव माली निवासी राठौडी कुआं नागौर 2. शरद सांखला पुत्र सुखदेव माली निवासी राठौडी कुआं नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री मुरारीलाल।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री आईदानराम भाटी।

निर्णय

दिनांक – 5-8-2019

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के मै. सांखला मिष्ठान भण्डार नागौर की आकस्मिक जांच के दौरान सीज किए गए 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 1 रेग्युलेटर एवं 1 पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम में राज सात करने के आदेश बाबत् दिनांक 15.09.2010 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण रसद मामला संख्या 142/2010 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा 16.11.2010 को निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्व अप्रार्थी सुखदेव द्वारा माननीय सेशन न्यायाधीश मेडता के न्यायालय में फौजदारी अपील संख्या 78/2010 सुखदेव बनाम राजस्थान राज्य वगैरह प्रस्तुत की गई। माननीय सेशन न्यायाधीश मेड़ता ने उक्त फौजदारी अपील में दिनांक 27.07.2011 को निर्णय पारित कर प्रकरण इस न्यायालय को विधि अनुसार पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया गया। जिसपर इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली पुनः नम्बर पर 21/2012 दर्ज कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सुखदेव की दिनांक 19.10.2013 को मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारीगण को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसपर अप्रार्थी के कायम मुकामानो को रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक नागौर, राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री करण सिंह राजपूत निवासी संखवास मैनेजर मैसर्स शहीद सुरेन्द्र सिंह चौहान गैस एजेन्सी नागौर के शपथ पत्र प्रस्तुत किए। आदेशिका दिनांक 18.03.2019 को साक्ष्य प्रार्थी बंद की गई एवं आदेशिका दिनांक 11.07.2019 के अनुसार वकील अप्रार्थी ने साक्ष्य अप्रार्थी में कोई गवाह पेश नहीं करने एवं प्रत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत करने का निवेदन किया।
2. प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की और से श्री मुरारीलाल ने बहस कथन किया कि घरेलू रसोई गैस के व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम बाबत नागौर शहर में की गई कार्यवाही के दौरान दिनांक 08.09.2010 को श्री कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक नागौर द्वारा मैसर्स सांखला मिष्ठान भण्डार राठौडी कुआं, नागौर की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। वक्त जांच मौके पर श्री सुखदेव पुत्र बिरदीचंद उपस्थित मिले जिन्होने होटल का निरीक्षण करवाया। वक्त जांच मौके पर होटल मे एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ पाया जिस पर मिठाई–मालपुए बनाये जा रहे थे। दुकान के अन्दर कारखाने का निरीक्षण करने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। दुकानदार सुखदेव द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक तौर पर मिठाई– मालपुए बनाने मे किया जाना पाया गया। सुखदेव से घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरुपयोग करने के बारे में पूछा गया तो सही जबाब नहीं दिया। वक्त जांच मैसर्स सांखला

कलक्टर, नागौर

मिष्ठान भण्डार राठौडी कुआं, नागौर में अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरुपयोग पाया गया जिनकी गैस कम्पनी एवं सीरियल नम्बर इस प्रकार है :– भारत गैस – 41671, 463224, 110956 तथा एच.पी.सी.– 189094, 544088 एवं एक रेग्युलरेटर व एक पाईप।

3. इस प्रकार मैसर्स सांखला मिष्ठान भण्डार राठौड़ी कुआं, नागौर में अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरो का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरुपयोग करना, "लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आर्डर,–2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), खण्ड 4(1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955" की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर उक्त पैरा नम्बर 3 में अंकित 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, एक रेग्युलरेटर व एक पाईप को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. शहीद सुरेन्द्र चौहान गैस एजेन्सी नागौर के मैनेजर श्री राजेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी में देने का कथन करते हुए पैरा संख्या 3 में सीज सुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 रेग्युलरेटर व 1 पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. मे समपहरण (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

4. वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया की अप्रार्थी के विरुद्व कार्यवाही जांच गलत की गयी है। दौराने प्रकरण रामदेवरा का मेला चल रहा था और उसमें पैदल यात्रियों द्वारा अप्रार्थी की दुकान पर सुस्ताने के लिए दुकान के पास खुले रुप से रख रखी थी। प्रार्थी ने कतयी घरेलु गैस का अपनी दुकान पर उपयोग नहीं किया है। सलेण्डर जब्तशुदा अप्रार्थी सुखदेव के नहीं है व न ही रेग्यूलेटर व पाईप ही उसका है। अप्रार्थी सुखदेव ने उपरोक्त सिलेण्डरो का उपयोग व उपभोग ही नही किया है तो ऐसी सूरत में अप्रार्थी सुखदेव के विरुद्व लगाया गया आरोप संर्धाय नहीं है। जब्तशुदा सामग्री अप्रार्थी सुखदेव की नहीं है यह सामग्री रामदेवरा में जाने वाले जातरुवो की है अप्रार्थी की नहीं है इन जातरुवों ने ही खुली जगह यह सामग्री अपने उपयोग में लेने के लिए रखी हो तो अप्रार्थी इसका जिमेवार नहीं है वकील अप्रार्थी ने जबाब पेश कर अप्रार्थी के विरुद्व विरचित कार्यवाही समाप्त की जाकर उसे आरोपमुक्त फरमाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, फर्द मौका जॉच व फर्द अभिग्रहण दिनांक 08.09.2010 के अनुसार अप्रार्थी के मै. सांखला मिष्ठान भण्डार नागौर की आकस्मिक जांच के दौरान होटल में एक घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुड़ा हुआ पाया, जिस पर मिठाई–मालपुए बनाये जा रहे थे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। दुकान के अन्दर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुऐ पाये गय। इस प्रकार 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 1 रेग्युलेटर एवं 1 पाईप को सीज किया गया है, जिसमें एक घरेलू गैस सिलेण्डर परन्तु अप्रार्थी द्वारा दौराने प्रकरण रामदेवरा का मेला चल रहा होना तथा यह सामग्री अप्रार्थी की नहीं होकर रामदेवरा में जाने वाले जातरुवो की होना बताया है। जातरुवों द्वारा ही खुली जगह यह सामग्री अपने उपयोग में लेने के लिए रखी होना बताया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में दर्ज एवं उपरोक्तानुसार जब्त सुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व 1 रेग्युलेटर एवं 1 पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 5(पांच) घरेलू सिलेण्डरों व 1 रेग्युलेटर एवं 1 पाईप का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। 1घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस की कीमत के बराबर अप्रार्थी सुखदेव के कायममुकामान अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर समानुपातिक जुर्माना लगाया जाता है। इस निर्णय की दिनांक से एक माह की अवधि में उक्त अप्रार्थीगण द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर, नियमानुसार कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देशित किया जाता है। प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर नागौर
कलेक्टर, नागौर